| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**अपील/एल0आर0/1190/2006/गंगानगर**<br>**बलदेव सिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.07.2023 | (see below) | |

**एकलपीठ**

**श्री रामनिवास जाट, सदस्य**

**उपस्थितः–**

श्री अमृतपाल सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी

**निर्णय**

यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, गंगानगर दिनांक 27.01.2006 प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता को विजयनगर के चक नंबर 6 एन0पी0डी0 पुराना नाम, नया चक नंबर 1 एन0जेड0एम0बी0 के 50 बीघा रकबा सन् 1952-53 से विधिवत आवंटित हुआ था। उक्त रकबा में से आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन, विजयनगर ने दिनांक 31.03.1972 को मुरबा नंबर 211/367 की 25 बीघा रकबा निशुल्क एवं 210/367 का 24 बीघा रकबा किमतन आवंटन कर दिया था। यहां यह उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि उपायुक्त उपनिवेशन ने अपने स्वयं के आदेश दिनांक 31.03.1972 को दिनांक 13.11.1973 से रिव्यु करके निरस्त कर दिया था। दिनांक 13.11.1973 के आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष पेश की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.07.1977 से रिमाण्ड कर दिया। उपायुक्त उपनिवेशन के यहां पत्रावली पुनः दर्ज हुई। जिसे उन्होने दिनांक 22.10.1980 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष पेश की गई। जिसे अपीलीय न्यायालय ने 31.08.1984 द्वारा अपील अस्वीकार कर दी। अपीलांट द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध मंडल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। जिसे राजस्व मंडल ने अपने निर्णय दिनांक 26.05.1995 से अपीलांट की निगरानी को स्वीकार कर लिया एवं राजस्व अपील प्राधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन के निर्णय क्रमशः दिनांक 31.03.1984 एवं 22.10.1980 को अपास्त कर दिया। राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**अपील/एल0आर0/1190/2006/गंगानगर**<br>**बलदेव सिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 26.05.1995 की पालना में अपीलांट ने आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे आवंटन अधिकारी ने दिनांक 14.12.2001 को निरस्त कर दिया। आवंटन अधिकारी के निर्णय दिनांक 14.12.2001के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2005 से स्वीकार करते हुये आवंटन अधिकारी के निर्णय दिनांक 14.12.2001 को निरस्त कर दिया एवं प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। अति0 जिला कलेक्टर ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.02.2005 के निर्देशों की पालना नहीं की व अपने निर्णय दिनांक 07.10.2005 द्वारा अपीलांट का आंवटन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अति0 जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 07.10.2005 के विरूद्ध अपीलांट ने अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर के यहां अपील प्रस्तुत की। जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 27.01.2006 से अपील को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर का निर्णय दिनांक 27.01.2006 एवं न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर का निर्णय दिनांक 07.10.2005 के विरूद्ध यह अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।<br><br>उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।<br>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर का निर्णय दिनांक 27.01.2006 एवं न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर का निर्णय दिनांक 07.10.2005 न्याय नियम एवं रिकॉर्ड के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2005 में अति0 जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को प्रकरण रिमाण्ड कर जो निर्देश दिये गये थे उनकी पालना अति0 जिला कलेक्टर द्वारा नहीं की गई। अति0 जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य मूल निवास प्रमाण पत्र चित्रप्रति, अपीलांट को | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**अपील/एल0आर0/1190/2006/गंगानगर**<br>**बलदेव सिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | विवादित आराजी से बेदखली बाबत् धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाही के नोटिस की प्रति, मतदाता सूची-1983 की प्रति, नकल जमाबंदी संवत 2012-15 आदि को अनदेखा करते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 13(5) बी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट था कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अपीलांट का मतदाता सूची में नाम अंकित होने से उनका स्थाई निवासी होना प्रमाणित था। अप्रार्थी राज्य सरकार द्वारा उक्त साक्ष्यों को नकारे जाने के लिये कोई ठोस आधार या साक्ष्य पेश नहीं किये गये। फिर भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 13(5) बी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष भी उक्त साक्ष्य पेश किये गये परंतु उनके द्वारा भी उक्त साक्ष्य बाबत कोई निर्णय नहीं देते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा। जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार मानकर किये है जबकि राज्य सरकार की ओर से कोई राजस्व रिकॉर्ड या प्रमाणित प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। विवादित आराजी बाबत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम का नोटिस अपीलांट को दिया जाना एवं मतदाता सूची में अपीलांट का नाम होना इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि पर कब्जा अपीलांट का ही है। तहसीलदार द्वारा यह रिपोर्ट किया जाना कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है एवं वे पंजाब के निवासी है, पूर्णतः गलत एवं कयास के आधार पर अंकित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य, प्रमाण पत्र व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना व उनको निर्णय में नहीं माने जाने बाबत कोई आदेश पारित किये बिना अपील को अस्वीकार कर दिया जिसका उन्हें क्षेत्राधिकार नहीं था। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया । | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**अपील/एल0आर0/1190/2006/गंगानगर**<br>**बलदेव सिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि पर कब्जा डिप्टी सिंह का है जो अपीलार्थी का मु0आम है। अपीलार्थीगण मौके पर निवास नहीं करते है बल्कि पंजाब में निवास करते है। तहसीलदार को प्रेषित फोटो फार्म पर यह रिपोर्ट है कि अपीलार्थीगण पंजाब में निवास करते है एवं उनका सदभावी काश्तकार नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन सही खारिज किया गया है। जबकि आवंटन की पात्रता हेतु आवेदक का सदभावी काश्तकार होना एवं राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक होता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य को किसी दस्तावेजात से सिद्ध नहीं कर पाये है कि वे पंजाब के निवासी नहीं होकर राजस्थान के मूल निवासी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।<br>उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।<br>इस प्रकरण के समस्त विवेचन व विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट से सिद्ध है कि प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी नहीं होकर पंजाब में निवास करता है। मौके पर विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त नहीं होकर मु0आम डिप्टी सिंह का कब्जा है तथा वही काश्त कर रहा है। इसलिए प्रार्थी सद्‌भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। भूमि आवंटन के प्रकरण में आवंटन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक प्रार्थी को पिता से प्राप्त भूमि व स्वयं के नाम खरीद फरोख्त भूमि की रिपोर्ट होना आवश्यक है जो पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थी नियम 13 (5) बी में भूमि आवंटन करवाने की पात्रता नहीं रखता है। परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी के राजस्थान का मूल निवासी नहीं होने व सद्‌भावी काश्तकार नहीं होने के कारण उसका प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 13 (5) बी खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि या अनिमितता नहीं | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**अपील/एल0आर0/1190/2006/गंगानगर**<br>**बलदेव सिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | पाये जाने के कारण इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।<br><br>परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः परीक्षण न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-10-2005 व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-01-2006 बहाल रखे जाते है।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(रामनिवास जाट)**<br>**सदस्य** | |